आयोजनागत/ जिला योजना
संख्या–192/XXIV(8)/2006

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 24 मार्च,2006

विषयः– जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय पाली0 गौचर के आवासीय भवन हेतु पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2321/नि0प्रा0शि0/जिला योजना/2005–06 दिनांक 26.10.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पाली0 गौचर के टाइप –4 के एक आवास एवं टाइप–1 आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–82/प्रा0शि0/2003 दिनांक 29.3.2003 द्वारा रू0 10.82 लाख के आंगणन पर वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या–950/XXIV(8)/ 2005 दिनांक 9.12.2005 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 0.82 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्यो के लिए कुल रू0 18.25 लाख के पुनरीक्षित आंगणन पर प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, अवशेष धनराशि रू0 18.25 लाख– रू0 10.82 लाख = रू0 7.43 लाख के सापेक्ष रू0 5.31 लाख (रूपये पांच लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि, संख्या–416/XXIV(8)/ 2005– 56/2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा जिला योजना– पालीटेक्निक का सुदृढ़ीकरण– वृहद निर्माण कार्य हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 27.12 लाख में से, प्रदान करते हुए व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी तथा शेष शर्ते पूर्व में जारी उक्त शासनादेश के अनुसार रहेगी।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

11– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– 104– बहुशिल्प – आयोजनागत–91–जिला योजना–9101– पाली0 का सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–1229/वित्त अनुभाग–3/2006 दिनांक 24.3.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
8. जिलाधिकारी चमोली, उत्तरांचल।
9. आयुक्त कुमायूं / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।